संख्या-6/6/12/73/का-2/2014टीसी-4

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनु-2 **लखनऊ: दिनॉक: 17 जून,2014**

विषय: उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती-नियमावली,1974' (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली में मृतक आश्रित की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों एवं समूह-ग एवं घ के पदों पर किये जाने की व्यवस्था है। इस नियमावली में अब तक ग्यारह संशोधन किए गए हैं। मूल नियमावली तथा अब तक किये गये ग्यारह संशोधन संलग्न किये जा रहे हैं।

2; मृतक आश्रित नियुक्ति के संबंध में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-2228(एसएस)/2014 प्रकाश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 17-04-2014 के प्रस्तर- 49 में निम्नलिखित संवीक्षाएं की गयी हैं-

" (a) Application should be disposed of within three months from the date dependent applies for a job. Under Rules no time limit is prescribed but intent of the rule is to provide immediate relief to the family to meet immediate financial crisis {Shiv Kumar Dubey (Supra)}. In this background, Appropriate Authority is supposed to dispose of such applications within a shortest possible time. In any case, application should not be kept pending for more than three months.

(b) Appointment under the rules can not be refused merely on the ground that financial status of the applicant is sound. Nor payment of retiral benefits at the time of death, furnishes any ground for refusal.

(c) Non availability of posts is no ground to refuse appointment.

(d) Appointment on Class III post can not be refused merely on the ground that deceased was Class III/IV employee.

http://shasanadesh.up.nic.in

(e) Appointment has to be offered according to qualification and suitability of candidate and the applicant should be given an appointment commensurate therewith. If appointing authority does not give appointment on the post claimed by applicant because of non-suitability, reasons have to be recorded by the appointing authority.

(f) Dependent of deceased has no right to claim particular position or place and it is in the discretion of the appointing authority to pass appropriate order warranted in the facts and circumstances of the case."

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में मा;उच्च न्यायालय की उपर्युक्त संवीक्षाओं का कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/12/73/का-2/2014-टीसी-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन।
13 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in